सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6892/MH/740/2026-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

जिला कलेक्टर,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय,
ओल्ड आगरा रोड,
नाशिक-422002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

विषय: वर्षो से काबिज गट क्र. 72 की भूमि ग्राम राजेवाडी, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) को अवैध तरीके से विक्रय किए जाने के संबंध में श्री उत्तम नारायण लिलके, मुक्काम व पोस्ट-वेलुंजे, तालुका-त्र्यंबकेश्वर, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 02.01.2026 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री उत्तम नारायण लिलके,
मुक्काम व पोस्ट-वेलुंजे,
तालुका-त्र्यंबकेश्वर,
जिला-नाशिक, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6892/MH/740/2026-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई : अनुसंधान इकाई-I

श्री उत्तम नारायण लिलके, मु. पो. वेलुंजे, ता. त्र्यंबकेश्वर, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) - वर्षो से काबिज गट क्र. 72 की भूमि ग्राम राजेवाडी, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) को अवैध तरीके से विक्रय किए जाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 15.06.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री उत्तम नारायण लिलके, निवासी ग्राम वेलुंजे, तहसील त्र्यंबकेश्वर, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन में बताया गया है कि ग्राम राजेवाड़ी स्थित गट नं. 72, खाता क्र. 283, क्षेत्रफल 5.60 हेक्टेयर भूमि का वर्ष 1974 में ₹3,500/- के प्रतिफल पर कब्जा दस्तावेज के माध्यम से हस्तांतरण किया गया था।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि पर कचरू सखाराम फसाले एवं उनके उत्तराधिकारीगण वर्ष 1974 से निरंतर, खुले एवं शांतिपूर्ण कब्जे में हैं तथा उन्होंने भूमि पर मकान बनाकर निवास किया है। यद्यपि राजस्व अभिलेखों में बाबू जीव खोड़े का नाम दर्ज है, किन्तु वास्तविक कब्जा आवेदक पक्ष के पास रहा है। आरोप है कि बाबूराव जीव खोड़े द्वारा भूमि का अवैध रूप से विक्रय गणपत शंकर थामके के पक्ष में किया गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त विक्रय को निरस्त कर भूमि का अधिकार अपने पक्ष में प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, नाशिक को दिनांक 04.02.2026 को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक आयोग को जिला प्रशासन की ओर से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, नाशिक की ओर से श्री पंकज पवार उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु विभागीय स्तर पर सकारात्मक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रकरण के अंतिम निराकरण हेतु दो माह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

आयोग अनुशंसा करता है कि प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन (ATR) दो माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं NCST/DEV-6892/MH/740/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: वर्षों से काबिज गट क्र. 72 की भूमि ग्राम राजेवाडी, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) को अवैध तरीके से विक्रय किए जाने के संबंध में श्री उत्तम नारायण लिलके, मुक्काम व पोस्ट-वेलुंजे, तालुका-त्र्यंबकेश्वर, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 02.01.2026 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर, जिला-नाशिक,

कलेक्टर कार्यालय, ओल्ड आगरा रोड, नाशिक-422002, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	पंकज पवार	महाविल्दार NOK	9922590 633	[signature]
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				